पत्र संख्या-ए0/नोट-45/91(खंड)................/जे0 (221)

बिहार सरकार

<u>विधि विभाग</u>

।। अ धि सू च ना ।।

पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-4159/जे0, दिनांक-17.06.2011 को अधिक्रान्त करते हुए, लेख्य प्रमाणक नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन लेख्य प्रमाणकों की नियुक्ति हेतु संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार को एतद् द्वारा ''सक्षम प्राधिकार'' अभिहित किया जाता है।

सं0सं0-ए0/नोट-45/91(खंड)/..................जे0

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक.........7197........./जे0, पटना, दिनांक 26/09/13

प्रतिलिपि:- अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजार बाग, पटना को सी0डी0 प्रति(सॉफ्ट कॉपी) सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त उक्त गजट की 100(एक सौ) प्रतियां विधि विभाग को भेजी जाय।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

D:\anil\Adhisuchna\A.Not-45.91 khand.doc

(32)

(42)

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आषाढ़ 1941 (श0)
(सं0 पटना 724) पटना, बुधवार, 26 जून 2019

विधि विभाग

अधिसूचना
10 सितम्बर 2018

सं0 ए0/नोट-2/17-7598/जे0—पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-7197/जे0, दिनांक 26.09.2013 द्वारा लेख्य प्रमाणक नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-4 के उपनियम (1) के अधीन लेख्य प्रमाणकों की नियुक्ति हेतु संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार को ''सक्षम प्राधिकार'' अभिहित किया गया है।

इस क्रम में संबंधित संचिकाओं में लेख्य प्रमाणकों की नियुक्ति, अनुज्ञप्ति नवीकरण एवं निलंबन संबंधी अंतिम आदेश देने का अधिकार, जो पूर्व में माननीय विधि मंत्री, बिहार का था, एतद्द्वारा सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार को प्रत्यायोजित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 724-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in